

को० फतेहगढ़

05 अभियुक्तों आजीवन कारावास

दि०- 21.02.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभि०गण 1. राकेश पुत्र रामप्रसाद 2. सुरेश पुत्र रामप्रसाद 3. कुन्तू पुत्र मेघनाथ निवासी गण अम्बेडकर नगर थाना इन्दरगढ़ जिला कन्नौज 4. बब्लू पुत्र रामलखन प्रजापति निवासी बरहाला हाल भुजरिया तिराहा कस्बा व थाना इन्दरगढ़ 5. विवेक पुत्र मूलचन्द्र निवासी ऊधमपुर थाना इन्दरगढ़ जिला कन्नौज मु०अ०सं०- 344/2004 वाद स०- 304/2004 धारा- 364,302/34, 201/34 भा०द०वि० थाना फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 21.02.2025 को मा० न्यायालय ए०डी०जे०-05 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा व 80-80 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री भानू प्रकाश मिश्र



को०मो०हे०का० राजेश कुमार



पैरोकार हे०का० श्याम सिंह

को० फरुखाबाद

दि०- 21.02.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त कर्मवीर उर्फ टिककन पुत्र जयराम सिंह निवासी राजन नगला भोलेपुर थाना को० फतेहगढ़ जिला फरुखाबाद मु०अ०सं०- 1448/2009 वाद स०- 360/2013 धारा- 328 भा०द०वि० को० फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 21.02.2025 को मा० न्यायालय एडीजे तृतीय डकैती कोर्ट फरुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



एडीजीसी - श्री तेजसिंह राजपूत



को०मो० हे०का० हरवेन्द्र सिंह



पैरोकार -का० धर्मेन्द्र कुमार

*Meticulous Investigation & Prosecution*

#OperationConviction

थाना कम्पिल

दिनांक- 21.02.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त आनन्द उर्फ लालू पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी मेदपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 175/2018 वाद स०- 244/2018 धारा- 498ए, 304बी भा०द०वि० व 3/4 डीपी एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 21.02.2025 को मा० न्यायालय एफ०टी०सी० प्रथम कोर्ट फरूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 07 वर्ष का कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



एडीजीसी - श्री पंकज कुमार कटियार



को० मो० हे०का० सुनील कुमार



पैरोकार हे०का० आदित्य



